तारीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उनवानी रोशनलाल वगै0 बनाम ग्राम पं. न्यौराणा वगै0 मु.सं. 03/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09-04-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 17.05.1989 बाबत नामान्तरकरण संख्या 306 ग्राम पंचायत डोकन तहसील नीमकाथाना (वर्तमान ग्राम पंचायत न्यौराणा तहसील पाटन) स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित नामान्तरकरण संख्या 306 दिनांक 17.05.1989 में मृतक खातेदार महादेव के वारिसान का खाता खोला गया हैं। अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के पिता/दादा/ससुर श्री महादेव पुत्र गोमा एवं महादेव के पुत्र बजरंगलाल दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई थी। अपीलाण्ट्स के भाई स्व. बजरंगलाल की रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 विवाहिता पत्नि थी परन्तु बजरंगलाल के साथ बहैसियत पत्नि रहते हुए रेस्पोडेण्ट सं. 2 के कोई सन्तान नही हुई। बजरंगलाल की मृत्यु होने के 6 माह पश्चात ही रेस्पोडेण्ट सं. 2 ने अन्य पुरूष लालसिंह के साथ नाता–विवाह कर लिया था। रेस्पोडेण्ट सं. 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलाण्ट्स के प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व नामान्तरकरण में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा महादेव पुत्र गोमा व बजरंगलाल पुत्र महादेव का देहान्त दिनांक 15.08.1987 को एक ही दिन होने व बजरंगलाल की विवाहिता पत्नि श्रीमती सरवन उर्फ शर्मिला अपने पति के देहान्त के लगभग 6 माह बाद ही अन्य पुरूष लालसिंह से नाता–विवाह करने एवं बजरंगलाल के कोई जायन्दा सन्तान नही होने के कारणों पर बिना गौर किये विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या 306 ग्राम डोकन दिनांक 17.05.1989 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 306 ग्राम पंचायत डोकन (वर्तमान ग्राम पंचायत न्यौराणा) दिनांक 17.05.1989 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested